न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी :अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 35/2025 FSSA

1. सरकार जरिये प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण दौसा।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री हरि शंकर पुत्र श्री द्वारका प्रसाद, निवासी महाजन मोहल्ला बालाहेडी मैसर्स हरि शंकर महेन्द्र कुमार, बडी चौपड बालाहेडी जिला दौसा (राज0)।

– अभियुक्त–

(जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011)

उपस्थिति : श्री प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

–::आदेश::–

दिनांकः–07.01.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 22.11.2024 को दोहपर बाद 02.10 बजे मैसर्स हरि शंकर महेन्द्र कुमार, बडी चौपड़ बालाहेड़ी महवा दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मालिक श्री हरि शंकर पुत्र श्री द्वारका प्रसाद, उपस्थित मिला ने स्वयं को मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहां, तो उसने खाद्य पदार्थ पंजिकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय फर्म पर ट्रेटा पैक में 5 पैकिट 1 लीटर पैकिग में घी सरस ब्राण्ड़ (Ghee Saras Brand) आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुऐ थे, में मिलावट का शक होने पर इनमें से नमूने की जॉच हेतू 1 ट्रेटा पैक घी 1 लीटर पैकिग वाला खरीदा। जिसकी कीमत 520 रूपये नकद देकर माल खरीद रसीद प्राप्त की। नमूने के लिए खरीदशुदा 1 लीटर पैकिग में घी सरस ब्राण्ड (Ghee Saras Brand) में से मूल ट्रेटा पैक को मालिक व गवाहन की उपस्थिति में मौके पर ही साफ सुथरी चार खाली प्लास्टिक की बोतलो में बराबर मात्रा में डालकर चार नमूने तैयार करके, चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनो पर चिपकाकर नमूनो को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर नमूनो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर AG-4613 गोंद से चिपकाकर नमूनो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बाँधकर नमूनो को चार–चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर नमूनो पर एफबीओ व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द नमूनो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक ने मौके पर फार्म न. 5 ए की दो प्रतियॅा तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म न. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे एफबीओ व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉं तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म न. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द पैकेट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म न. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द पैकेट व फार्म न. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुख्यालय के द्वारा दिनांक 25. 11.2024 को केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला ,जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Scanned with OKEN Scanner

बन्द पैकेट व फार्म न. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 25.11.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द व फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 25.11.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। उक्त खाद्य पदार्थ घी सरस ब्राण्ड़ (Ghee Saras Brand) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/5062/एक्ट/2024/4903 दिनांकः 09.12.2024 के अनुसार अमानक स्तर (Substandard) एवं Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) एवं निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की पुनः जॉच रिपोर्ट सं० 104 F/FSSA/2025 दिनांक 20.03.2025 के अनुसार अमानक स्तर (Substandard) का पाया गया। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी .एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/5062/एक्ट/2024/4903 दिनांक 09.12.2024 के अनुसार अमानक स्तर (Substandard) एवं Contravenes Regulation No.2.3.7(2) एवं निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की पुन जॉच रिपोर्ट सं0104F/FSSA/2025 दिनांक 20.03.2025 के अनुसार अमानक स्तर (Substandard) का पाया गया। उक्त खाद्य पदार्थ घी सरस ब्राण्ड़ (Ghee Saras Brand) के नमूने की जांच में Saponification value 246.96 पाई गयी हैं। जो निर्धारित मानको के अनुसार 205–235 तक से अधिक है। Saponification value तय मानको से अधिक पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ घी सरस ब्राण्ड़ (Ghee Saras Brand) का नमूना अमानक (SubStandard) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक (SubStandard) स्तर के खाद्य पदार्थ घी सरस ब्राण्ड़ (Ghee Saras Brand) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 3 (1) (zx) एवं धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी की एक परचूनी की दुकान ग्राम बालोहडी तहसील महवा जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थी ने दिनांक 24.10.2024 को स्मृति ट्रेडर्स दुकान नं. 199 चांदपोल बाजार जयुपर जो कि गाय का घी, दूध, छाछ, पंनीर, श्री खण्ड एवं सभी ब्राण्ड के घी एवं तेल के विक्रेता है से 10 लीटर सरस का देशी घी खरीद ने की कुल राशि 5080 रू. का भुगतान किया था। उक्त दुकान वाले ने बिल नही दिया है लैटरपैड पर बिल जारी किया गया है। जिसकी प्रति जवाब प्रार्थना पत्र के संलग्न है। उक्त के संबंध में कोई त्रुटी पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। भविष्य में इसका ध्यान रखा जावेगा। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की पुन जॉच रिपोर्ट सं० 104F/FSSA/2025 दिनांक 20.03.2025 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी सरस ब्राण्ड़ (Ghee Saras Brand) का नमूना अमानक (SubStandard) स्तर का पाया गया है। उक्त नमूना निर्धारित शुद्धता मानको के अनुरूप नहीं होने से एफएसएसए धारा 26 की उप धारा (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (SubStandard) स्तर के खाद्य पदार्थ घी सरस ब्राण्ड़ (Ghee Saras Brand) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री हरि शंकर पुत्र श्री द्वारका प्रसाद, निवासी महाजन मोहल्ला बालाहेडी मैसर्स हरि शंकर महेन्द्र कुमार, बडी चौपड बालाहेडी जिला दौसा (राज0) पर 1,50,000/—रूपये (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 07.01.2026 के एक माह के अन्दर—अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210—04—800—03—00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/1/2026

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
दिनांकः— 07.01.2026

क्रमांक/FSSA/ 7-9

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

01. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
02. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
03. श्री हरि शंकर पुत्र श्री द्वारका प्रसाद, निवासी महाजन मोहल्ला बालाहेडी मैसर्स हरि शंकर महेन्द्र कुमार, बडी चौपड बालाहेडी जिला दौसा (राज0) पिन कोड नं. 321608।

7/1/2026

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Scanned with OKEN Scanner